बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) का कार्यालय

क्षेत्र यन्त्र प्रमण्डल, दीघा, पटना।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 12/2023–2024

1. निविदा निर्गत करने की तिथि :– **15/02/2024**
2. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता (यां0) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल,दीघा,पटना
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि:– :– **27.02.2024** से **29.02.2024** तक (कार्यालय अवधि में)।
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– **01.03.2024** को 3.00 बजे अपराहन् तक ।
5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– **01.03.2024** को 3.30 बजे अपराहन् में ।
6. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– इसकी सूचना अलग से दी जायेगी।
7. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थानः 1.मुख्य अभियंता,(यॉं0),जल संसाधन विभाग,बिहार, पटना का कार्यालय।
   2. अधीक्षण अभियंता,(यॉं0), सिंचाई यांत्रिक अचंल, मीठापुर,पटना का कार्यालय।
   3. कार्यपालक अभियंता,(यॉं0), क्षेत्र यन्त्र प्रमंडल दीघा, पटना का कार्यालय।

Group no.	Work description	Estimated cost (in Rs.)	Cost of Tender document (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Work completion
1	Renovation, Fabrication , Erection of 01 Nos H/R Gate (Size 5'-6" X 3'-6") with embedded parts , hoist platform with railing , Hoisting arrangement near Harsaini village on left main canal and repair , fitting m fixing of flat and musical rubber seal along with painting of 5 nos , U/S gate and 11 nos , spillway gate and changing of hoisting arrangement of 2 nos H/R gate of Head works site and 2 nos H/R near Andawas village of right main canal and Renovation , Fabrication and Erection of M.S platform , railing etc at different paonts of right and left canal of Paimar Irrigation Scheme.	1367614.00	2500.00	27400.00	10 Days.
2	Fabrication and Erection of Railing both side of bank at 77.30 km of Mahabalipur Lock gate of PMC	1291415.00	2500.00	25850.00	10 Days.
3	Fabrication and Erection of 21 nos crest shutter (size 9' X 3'-3") , 140 Nos , Tie Rod , 40 Nos , Khutti with repair of M.S platform and Stairs , Right U/S gate with painting of 14 Nos , U/S gate , platform , Stairs and 16 Nos , H/R gate with platform and stairs under Sakri Irrigation Scheme , Dist. Nalanda	907925.00	1250.00	18160.00	10 Days
4	Fabrication and Erection of 10 Nos , Tie Rod , 25 Nos Khutti and Painting of H/R gate , U/S gate , Fiber Shed , Railing and Crest Shutter at Sirnama Irrigation Scheme Dist. Nalanda.	26500.00	250.00	550.00	10 Days.

परिमाण–विपत्र के बिक्री स्थानों पर सम्पर्क किया जा सकता है। पूर्ण निविदा को को वेबसाईट **www.prdbihar.gov.in** एवं **wrd.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

15/2/24

कार्यपालक अभियंता(यॉंत्रिक)

क्षेत्र यन्त्र प्रमंडल, दीघा, पटना

15/02/24

नशे से बनाना दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।

निविदा का नियम एवं शर्त

1– निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को वर्ग IV श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

2– निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा । प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकी निविदा तथा दूसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा । तकनीकी निविदा वाले लिफाफा में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी का निवंधन प्रमाण पत्र, उधोग उधयम का निवंधन प्रमाण पत्र, अघतन जी0 एस0 टी0 निवंधन सं0, पैन नम्वर, फैक्ट्री लाईसेंस, शपथ पत्र, कर्मशाला निरीक्षण प्रतिवेदन ,चरित्र प्रमाण पत्र एवं वांछित अग्रधन की राशि जमा करना होगा । द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं अक्षर दोनों में) जमा करना होगा । सिर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात उपरोक्त माप दण्डों के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का ही दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) खोला जायेगा । अयोग्य निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) यथावत संबंधित निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा ।

3– अग्रधन की राशि विधिवत कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना के पदनाम से अद्यतन प्रतिज्ञित होगा । अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) या डाकघर सावधि जमा पासबुक या राष्ट्रीयकृत वैंक/अधिसूचित वैंक का फिक्स डिपोजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो ,जमा करना होगा ।

4– कार्य की प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा। निविदा संलेख का मूल्य बैंक ड्राफट के रूप में जमा करना होगा ।

5– निविदादाताओं को फैक्ट्री लाईसेंस जो फर्म या फर्म का मालिक के नाम से हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

6– निविदा के साथ निविदादाताओं की यॉत्रिक कार्य सम्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) / अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) / मुख्य अभियंता(यॉ0), जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना द्वारा निर्गत कर्मशाला का प्रमाण–पत्र, स्थान , कर्मशाला पत्र की वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा। निविदा के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मशाला में मशीन /टूल्स एवं तकनिकी कर्मियों का कार्य के अनुरूप होना आवष्यक होगा ।

7– निम्न आशय का शपथ पत्र ; (**Affidavit**) निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

> **" I the undersigned do here by certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake / forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as blacklisting. "**

8– अपर मुख्य सचिव, गृह सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक– 29 दिनांक– 25.01.2021 के अनुसार आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

9– निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।

10– जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

11– संवेदक/ऐजेन्सी के विपत्र से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती की जायेगी, जिनका अंतिम भुगतान संवंधित असैनिक प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य समय पर एवं संतोषप्रद होने का संपुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा ।

12– निविदा निष्पादन के दौरान वैसे निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा, जिसके विरूद्ध विभाग में कालीकरण की कार्रवाई चल रही हो अथवा कार्य–कलाप संदेहास्पद हो ।

13– विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के मूल्य की कटौती संवेदक के विपत्र से प्राक्कलित राशि निविदित/ राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य में से जो अधिक होगा, की जायेगी ।

14– कार्य का एकरारनामा एफ–2 (कंडिका–23 विलोपित) पर किया जायेगा।

15– निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वंय अवगत हो लें । एकरारनामा सम्पादित कर लेने के

बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होगें ।

16– कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा।

17– जी0 एस0 टी0, आयकर एवं अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी ।

18– श्रम कल्याण निधि मद में 1 (एक) प्रतिशत दर की कटौती की जायेगी ।

19– सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा ।

20– निधि उपलब्ध होने के पश्चात ही कार्य का भुगतान होगा।

21– जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा ,उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने से संवंधित स्वहस्ताक्षरित वर्क शिड्यूल (**Work Schedule**) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा) समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कार्यादेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा ,अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

22– एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

23. पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं0 447 (S) एवं 448 (S) के आलोक में परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर करने वाले निविदा के लिए **Additional Performance Guarantee** एकरारनामा के समय जमा करना होगा।

24– लौह सामग्रियॉ ख्याति प्राप्त निर्माता (**SAIL/TATA/RINL/SHYAM STEEL INDUSTRIES LTD.**) कम्पनी /प्राधिकृत विक्रेता से क्रय कर उपयोग करना होगा। लौह सामग्रियों के क्रय का रसीद एवं टेस्ट रिपोर्ट समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

25 कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक काहोगा एवं कार्य करने के पश्चात पुराने लौह सामग्रियों को उचित प्राप्ति रसीद लेकर विभागीय (प्रमंडल के अधीन) भंडार में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

26– संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक वारंटी के अन्दर करना होगा तथा किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शूल्क के उन्हें मरम्मति कर पुनः क्रियाशील करना अनिवार्य होगा ।

27– सफल निविदादाता को उत्तोलन प्रणाली का निर्माण कार्य को छोड़कर गेटों का निर्माण कार्य कार्यस्थल पर करना अनिवार्य होगा ।

28– बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होगें ।

15/4/24

(ई0 विद्याशंकर वर्मा)
कार्यपालक अभियंता(यॉंत्रिक)
क्षेत्र यन्त्र प्रमंडल, दीघा, पटना।

15/02/24